प्रेषक,

मण्डलायुक्त
आगरा

सेवामें,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 सनुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार नई दिल्ली।

पत्रांक/शि०स०/एन०ओ०सी०/ 9528 / 2009–2010 दिनाँक 27-01-2010

विषय:– समविद् गुरुकुलम् वात्सल्य ग्राम, वृन्दावन, मथुरा को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या/1916(1)/15–7–09–1(299)/2007 दिनाँक 14 जुलाई, 2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनाँक 06–01–2010 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई, दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:–

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय का प्रबन्ध समिति में सम्बंधित जिले का ज़िला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान, की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से क्रम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) विद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित कर अग्निशमन अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें।

(10) नेशनल बिल्डिग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाय।

Samvid Gurukulam Girls Sainik School
Director

(11) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2– उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राधा एस० चौहान)
आयुक्त
आगरा मण्डल,आगरा

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल , आगरा

पृ०सं० / शि०स० / एन०ओ०सी० / 9528–34 / 2009–10 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, (मा०शि०), उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा–7 अनुभाग, लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।
3– जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
4– जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्बन्धित जनपद।
5– निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– प्रबन्धक, सम्बन्धित विद्यालय।

(राधा एस० चौहान)
आयुक्त
आगरा मण्डल,आगरा

Director

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल,आगरा।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार,नई दिल्ली।

पत्रांक: सी0बी0एस0ई0/एनओसी/ /2024–25 दिनांक: 25-06-2024

विषय: समविद् गुरूकुलम् स्कूल, वात्सल्यग्राम, वृन्दावन,मथुरा का नाम समविद् गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, वात्सल्यग्राम,वृन्दावन,मथुरा में परिवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन0ओ0सी0) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1916(1)/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक: 14 जुलाई,2009 के अनुपालन में गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक: 19.06.2024 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त सन्दर्भित विद्यालय समविद् गुरुकुलम् स्कूल,वात्सल्यग्राम, वृन्दावन,मथुरा का नाम समविद् गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, वात्सल्यग्राम,वृन्दावन,मथुरा में परिवर्तित किये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है।

(क)–विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख)–विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग)–विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ)–संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन,नई दिल्ली सेस प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ङ)–संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च)–कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ)–राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।
(ज)–विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

(झ)–विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ञ)–उपर्युक्त कम क से झ में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं दिया जायेगा।

(ट) उपर्युक्त कम क से ज तक के प्रतिबन्धों की सोसाइटी के बाइलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

Samvid Gurukulam Girls Sainik School
Director

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्थान के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार लापरवाही या शिथिलता बरती जाती है तो विद्यालय नाम परिवर्तन हेतु यह प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(आर०पी० शर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल,आगरा।

पृ०सं० सी०बी०एस०ई० / एनओसी / 4298-4305 / 2024–25 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,माध्यमिक शिक्षा–7 अनुभाग,लखनऊ।
2–आयुक्त,आगरा मण्डल,आगरा।
3–जिलाधिकारी,मथुरा।
4–शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र०,लखनऊ।
5–अनुसचिव,सैनिक स्कूल सोसाइटी,रक्षा मंत्रालय,भारत सरकार,कक्षसंख्या–101,डी–1 विंग,सेनाभवन,नई दिल्ली।
6–जिला विद्यालय निरीक्षक,मथुरा।
7–प्रबन्धक–समविद गुरूकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, वात्सल्यग्राम,वृन्दावन,मथुरा। (प्रतीक्ष्य)

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल,आगरा।

Samvid Gurukulam Girls Sainik School
Director